शपथ पत्र

समक्ष,

सचिव,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

मै शपथकर्ता .... निम्नवत् शपथ पूर्वक बयान करता हूँ :–

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सही है एवं समूह आवास मानचित्र हेतु आवेदन में वर्णित समस्त तथ्यों से मैं भली भॉति परिचित हूँ।
2. यह कि .... जो प्राधिकरण के .... परिसर के स्वामी .... का है तथा .... के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. इस सम्पत्ति का भू–स्वामी .... का है तथा स्थल पर कम्पनी का भौतिक कब्जा भी है। स्वामित्व से सम्बन्धित कोई वाद किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है और न ही किसी न्यायालय से स्थगनादेश पारित है।
4. यह कि भू–स्वामित्व तथा कब्जा का पूर्ण दायित्व कम्पनी का होगा, अन्यथा किसी विवाद की स्थिति में मानचित्र निरस्त किया जाना मान्य होगा।
5. यह कि आवेदित समूह आवास भवन मानचित्र वर्तमान में प्रवृत्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि महायोजना तथा एन0बी0सी0 में निहित प्राविधानो के अनुरूप होने के कारण अनुमन्य है।
6. यह कि समूह आवास भवन मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित अर्ह वास्तुविद/इन्जीनियर/मानचित्रकार द्वारा ही बनवाया गया है।
7. यह कि इस भवन का निर्माण इ0वि0प्रा0, इलाहाबाद के पंजीकृत सुपरवाईजर/ तकनीकी संस्था के पंजीकृत अभियन्ता/आर्किटेक्ट की देख–रेख में पी0डब्लू0डी0, सी0पी0डब्लू0डी0 एवं

निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार कराया जायेगा एवं संरचना सुरक्षा या स्पेशिफिकेशन की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी। प्राधिकरण की उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

8. यह कि मै समूह आवास भवन मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करेंगें और यदि प्राधिकरण द्वारा कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसे ध्वस्त करने के लिये प्राधिकरण पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और उसके विषय में किसी न्यायालय में कोई दावा प्रस्तुत नही करेंगे। उक्त समस्त अनधिकृत निर्माण के विषय में सम्पूर्ण जिम्मेदारी कम्पनी की होगी। मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त मेरे द्वारा मास्टर प्लान, जोनल प्लान, ले–आउट प्लान, Sanction Plan तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुरूप ही निर्माण कराया जायेगा, इसके विपरीत कोई निर्माण तथा उपयोग नही किया जायेगा।
9. यह कि कम्पनी द्वारा ऐसा कोई निर्माण/कार्य नही किया जायेगा, जिससे सीवर लाइन, ड्रेनेज, सड़क, यातायात, दूरसंचार, जलापूर्ति व विद्युत आदि जन सुविधाओं में किसी प्रकार का कोई व्यवधान/समस्या उत्पन्न होती हो अथवा पर्यावरण को किसी भी प्रकार से प्रदूषित करता हो।
10. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत समूह आवास भवन मानचित्र के अनुसार पार्किंग हेतु निर्धारित स्थल को सदैव सुरक्षित रखा जायेगा और पार्किंग प्रयोजन में ही उपयोग में लाया जायेगा। इस पर भविष्य में कोई निर्माण नही किया जायेगा तथा पार्किंग स्थल का इससे इतर उपयोग भी नहीं किया जायेगा।
11. यह कि भूकम्परोधी शासनादेश के अनुसार भवन का स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग इस हेतु सक्षम अर्ह स्ट्रक्चरल इन्जीनियर द्वारा कराया गया है तथा उसी के अनुसार ही स्थल पर निर्माण कार्य कराया जायेगा फिर भी यदि कोई क्षति/दुर्घटना होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी कम्पनी की होगी।
12. यह कि दाखिल समूह आवास भवन मानचित्र की स्वीकृति में जो भी शुल्क देय होगा वह बहैसियत डायरेक्टर, द इन्नोवेटर्स एड्स प्रा0लि0 शपथकर्ता को मान्य होगा।
13. यह कि स्वीकृत समूह आवास भवन मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण करने के उपरान्त अधिनियमों के अन्तर्गत भवन सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन में प्रवेश किया जायेगा और किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।
14. यह कि प्राधिकरण से सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्थायी विद्युत, जल व अन्य कनेक्शन, सम्बन्धित विभाग से, प्राप्त किये जायेंगे।
15. यह कि प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया विकास ब्यय या अन्य कोई शुल्क मॉगा जाता है, तो हम उसे अदा करेंगे।
16. जिस प्रयोजन हेतु समूह आवास भवन मानचित्र की स्वीकृति ली गयी है, इससे इतर उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि किसी समय अन्य प्रयोग में लाया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय मानचित्र निरस्त किया जा सकता है। इसमें शपथकर्ता/कम्पनी को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त 1 से 16 तक कही गयी बातें शपथकर्ता की निजी जानकारी में सत्य एवं सही है। इसमें न तो कुछ झूठ है न ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक : ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता